



पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर  
(राज)

(श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय के पीछे, सीकर-332001)  
टेलीफोन नं. 01572-272100, 273100, 273200 टेलीफेक्स 01572-273100  
वेबसाइट: www.shekhauni.ac.in ई-मेल: reg.shekhauni@gmail.com


क्रमांक- प-01 ( )सम्बद्धता/बी.ओ.आई/2017-18/ 1189

दिनांक-15.09.2017

परिपत्र


राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के नोटिफिकेशन क्रमांक अकादमिक-11/2012/141 दिनांक 05.04.2012 के अनुसार इस विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में संचालित महाविद्यालयों को सम्बद्धता हेतु एन्डोमेन्ट फण्ड की राशि का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है। एन्डोमेन्ट फण्ड की राशि की एफ.डी. कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर एवं सचिव, महाविद्यालय के संयुक्त नाम से तीन वर्ष की अवधि हेतु बनवाया जाकर इस कार्यालय में छाया प्रति प्रस्तुत करनी है। जिन महाविद्यालयों ने पूर्व में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के नाम एफ.डी. बनवा रखी है का भुगतान प्राप्त कर इस विश्वविद्यालय के संयुक्त नाम से बनाई जावे। जिन महाविद्यालयों ने आज दिनांक तक एन्डोमेन्ट फण्ड की राशि की एफ.डी. की प्रति विश्वविद्यालय में जमा नहीं करवाई है वे उक्त प्रति इस कार्यालय में अविलम्ब जमा करवावें, जिससे उन्हें सत्र 2017-18 की सम्बद्धता जारी किया जाना सम्भव हो सके।

क्र0सं0	एन्डोमेन्ट फण्ड की राशि (रूपये)	प्रति कोर्स (Per Programme)
1.	5 लाख	कला, वाणिज्य, विज्ञान
2.	10 लाख	प्रशिक्षण कोर्सेज बी.बी.ए., बी.सी.ए., एल.एल.बी. एवं अन्य।

  
कुलसचिव

प्रतिलिपि: -निम्नांकित को सूचनार्थ भिजवाई जाती है:-

1. कुलपति सचिवालय।
2. परीक्षा नियंत्रक।
3. वित्त नियंत्रक।
4. प्रभारी वेबसाइट अपलोड किये जाने हेतु।
5. समस्त प्राचार्य सम्बद्ध महाविद्यालय पं.दी.उ.शे.वि.वि. सीकर।
6. रक्षित पत्रावली।

  
कुलसचिव